निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 58/2023
दायरा दिनांकः–06.09.2023
निर्णय दिनांकः–03.9.24

उनवान

1 चन्द्रप्रकाश गेरा आयु 50 वर्ष पुत्र रमेशचन्द गेरा जाति पंजाबी निवासी छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. लालचन्द आयु 45 वर्ष आत्मज कजोडीलाल जाति काछी निवासी छबडा
2. जानकीदेवी आयु 63 वर्ष पत्नि स्व0 रमेशचन्द शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी छबडा
3. प्रेमनारायण आयु 55 वर्ष कजोडीलाल जाति काछी निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारां राज0
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारा राज0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः–03.9.24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री भगवान बलरिया – प्रार्थी
2. श्री दिनेशचन्द कुशवाह – अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि खसरा न. 319 रकबा 1.8211 हेक्टेयर (7) बीधा 4 बिस्वा) वाके माल ग्राम छबडा तहसील छबड़ा जिला बारां राज. में अवस्थित है। जिसमे प्रार्थी चन्द्रप्रकाश का हिस्सा 17/36 व अप्रार्थी क्रम 1 लालचन्द का हिस्सा 1/18, अप्रार्थी क्रम 2 जानकी देवी का हिस्सा 5/36 एवं अप्रार्थी क्रम 3 प्रेमनारायण का हिस्सा 1/3 जिसका इन्द्राज रेवेन्यू रिकार्ड वर्तमान जमाबन्दी संख्या 207 सम्वत् 2079 (वर्ष 2023) में अंकित है। जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी का विकास, कराना चाहता हैं। जो बिना विभाजन के सम्भव नही है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य कई बार सीमा विवाद हो चुका हैं। जिस कारण प्रार्थी अपनी भूमि का अपनी आवश्यकता के अनुसार विकास, उपयोग–उपभोग करने में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। इसलिए प्रार्थी मुताबिक खातेदारी व मौके की स्थिति उक्त भूमि का विभाजन कर बटवारा व पैमाइश करा कर अपना खाता अलग कराना चाहता है जिसका प्रार्थी वैधानिक अधिकारी है। इसलिए उक्त भूमि का बटवारा व पैमाईश कराना न्यायाहित में अत्यन्त आवश्यक व न्यायोचित है। पर प्रार्थी व अप्रार्थी मुताबिक मोके पर मौखिक बटवारे के अनुसार काबिज चले आ रहे हैं। जिनमे आए दिन सीमा विवाद होते रहते हैं इसलिए प्रार्थी द्वारा 20 दिसम्बर 2022 में अप्रार्थीगण से अपनी–अपनी भूमि हिस्से खातेदारी व मोके की स्थिति के अनुसार विधिवत पैमाईश व बटवारा कराने को कहा तो अप्रार्थीगण द्वारा फसल कटने पर अप्रेल 2023 मे विधिवत पैमाईश व बटवारां कराने की सहमति दी इसके बाद वादी द्वारा पुनः इस सन्दर्भ में अप्रार्थीगण से दिनांक 2 मई 2023 को उक्त भूमि का विधिवत पैमाईश व

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बटवारा कराने को कहा तो प्रतिवादी क्रम 1 व 2 बटवारा व पैमाईश कराने से साफ इन्कार कर दिया तथा इससे पूर्व गत 5–6 माह पूर्व अप्रार्थी क्रम 1 व 2 द्वारा अपने हिस्से की भूमि से अधिक भूमि यानि प्रार्थी के हिस्से पर कब्जा करने की नियत से चुपचाप अवैध व गलत तरिके से अस्थायी बाउन्ड्री कोट करने लगे। जिससे प्रार्थी को आशंका उत्पन्न हो चुकी हैंभदि प्रतिवादी ने वादी के हिस्से की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया तो प्रार्थी अकारण ही कई प्रकरणों में उलझना पड़ेगा। परिणामस्वरूप वादी को अपिरिमित क्षति होगी। जिसकी आपूर्ति असम्भव है। उक्त विवादीत आराजी संयुक्त खातेदारी की है जिस पर बिना विभाजन प्रतिवादीगण एवं उसके परिजनो द्वारा भूमि की मेढ़/सीमा को लेकर विवाद प्रारम्भ करने एवं अपने खेत का अस्थायी बाउंड्री को आगे बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे है। वादी चन्द्रप्रकाश ने प्रतिवादी से भूमि का बटवारा व अपने–अपने हिस्से की पैमाईश कराने की बात अन्तिम बार दिनांक 12–6–2023 को विभाजन की बात की तो प्रतिवादी व एवं उसके परिजन आक्रोश में आ गऐ विभाजन कराने से साफ इन्कार कर तथा वादी से झगडे पर आमादा हुऐ। प्रतिवादीगण ने वादी को उक्त भूमि पर आने–जाने पर उनके हाथ पैर काटने व जान से मारने व झूठे मुकदमे मे फसाने की धमकी दी। इसलिए वादी अपने हिस्से की उक्त आराजी का बटवारा व पैमाईश कानूनन कराना एवं वादी को उसकी भूमि का शान्तीपूर्वक उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत प्रतिवादी को द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना चाहते है जो अत्यन्त आवश्यक व न्यायौचित है। प्रार्थी द्वारा उनके हिस्से की भूमि के विभाजन कराने व शान्तिपूर्वक उसके कब्जे खातेदारी की सीमा में बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत अप्रार्थी को कई बार समझाया गया इस सन्दर्भ में किये गए सभी प्रयास विफल होने पर प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय की शरण में आने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहा। वाद कारण दिनांक 12–6–2023 को विभाजन की बात की तो प्रतिवादी व एवं उसके परिजन आक्रोश में आ गए विभाजन कराने से साफ इन्कार कर झगडे पर आमादा हुऐ। अप्रार्थीगण ने वादी को उक्त भूमि पर आने–जाने पर उनके हाथ पैर काटने व जान से मारने व झूठे मुकदमे मे फसाने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम गुगोर सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 157 नकल जमाबन्दी कस्बा छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्सा 207 पेश कि गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके कस्बा छबडा तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 17/36 व अप्रार्थी क्रम 1 का हिस्सा 1/18 अप्रार्थी क्रम 2 का हिस्सा 5/36 अप्रार्थी क्रम 4 का हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है प्रार्थी अपने खाते की आराजी का विकास कराना चाहता है प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण मौके पर मौखिक बटवारे के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। पक्षकारान में मौके पर सीमा विवाद होता रहता है जब तक भूमि का बटवारा नही हो जाता तब तक पैमाईश नही हो सकती क्योकि विवादित भूमि शामलाती खातेदारी की है अप्रार्थीगण भूमि की मेढ को लेकर विवाद करते रहते है तथा खेत की बाउण्ड्री को आगे बढाने का प्रयास करते है अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक पाबन्द

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

फरमाया जावे की वह प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दख अन्दाजी नही करे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा दिनांक 24.06.2013 को अप्रार्थी क्रम 1 से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से 1 बीघा भूमि क्रय की थी, क्रय के बाद से अप्रार्थी क्रम 2 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी एक प्रोपट्री डीलर है तथा राजनैतिक पदाधिकारी है। प्रार्थी अप्रार्थीगण पर आवश्यक दबाव बनाकर भूमि को हडपना चाहता है प्रार्थी मौके पर कब्जे में हिस्से अनुसार बटवारा करा ले कोई आपात्ति नही है। अप्रार्थी 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला है वह बीमारी से पीडित है अप्रार्थीया बुजुर्ग होने का नाजयाज फायदा उठा कर भूमि हडपना चाहता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। विवादित आराजी शामलाती खातेदारी की है प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का अलग अलग हिस्सा निहित है जिस पर काविज काश्त है मुताविक कब्जा एवं रिकार्ड के तरमीम किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी अप्रार्थीया की कृषि भूमि को दबाव बनाकर हडपना चाहता है प्रार्थी को मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति दे दी जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमावन्दी कस्बा छबडा सम्वत 2074–77 खाता संख्या 207 प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के सह खातेदारी में दर्ज है जिसमें सभी का अलग–अलग हिस्सा दर्ज रिकार्ड है प्रस्तुत नकल राजस्व रिकार्ड जमावन्दी के अनुसार पक्षकारान हिस्सा अनुसार विवादित भूमि पर काबिज काश्त है भूमि की पैमाईश को लेकर पक्षकारान में विवाद बना हुआ है पैमाईश तब तक नही की जा सकती तव तक भूमि का हिस्सा अनुसार बटवारा नही हो जाता। तथा हिस्से अनुसार खाता अलग नही हो जाता। विवादित आराजी पर विवाद पैदा न हो इसलिए मूल वाद के निर्णय तक उभयपक्षो को मोके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है उभयपक्षो को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कस्बा छबडा के खसरा नम्बर 319 रकबा 1.8211 है0 भूमि पर मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर ए एस
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा